अपील/एल.आर./2521/2003/करौली
सुरज्ञान आदि बनाम नथेली आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जजः	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री सूरज भान जैमन, सदस्य** **उपस्थित :** **(1) श्री जे0के0पारीक, अभिभाषक अपीलांटस** **(2) रेस्पोडेंट संख्या एक की ओर से बावजूद सूचना के अनु.** **(3) रेस्पोडेंट संख्या दो की ओरसे राजकीय अभिभाषक** ... **निर्णय** **दिनांकः 7–8–18** यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 30–4–2003 के विरुद्ध को प्रस्तुत की गयी है। 2– अपील के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार आवंटन सलाहकार समिति गंगापुर ने अपने आदेश दिनांक 21–10–75 द्वारा रैस्पोडेंट संख्याएक को विवादित आराजी खसरा नंबर 67/1 रकबा 5 बीघा का आवंटन किया गया। उक्त आवंटन को निरस्त कराने के लिए अपीलांट ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटननियम 1970 के तहत अतिरिक्त कलक्टर करौली के समक्ष पेश किया जिसे उन्होने अपने निर्णय दिनांक 26–12–01 द्वारा निरस्त कर दिया जिसके विरुद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के समक्ष पेश की, जिसे उन्होने भी अपने निर्णय दिनांक 30–4–03 द्वारा निरस्त कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गयी है। 3– दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर बहस सुनी गयी। 4– विद्वान अभिभाषक अपीलांट की मुख्य बहस यह है कि विवादित आराजी पर अपीलांट का पिछले 50सालों से कब्जा चला आ रहा है।विवादित आराजी पर मवेशी चरते आ रहे है। रेस्पोडेंट ने उक्त आवंटन तथ्यों को छिपाकर करवाया है जबकि वह भूमिहीन व्यक्ति नही है। उनका यह भी तर्क है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने आवंटन आदेशों की विधिवत रुप से पालना नही की गयी है। उनका आगे तर्क है कि विवादित आराजी पर आज दिनांकतक काश्त नही की गयी है। ऐसीस्थिति रेस्पोडेंट के पक्ष में किया गया आवंटन विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। लेकिन दोनो ही अधीनस्थ	सा

अपील/एल.आर./2521/2003/करौली
सुरज्ञान आदि बनाम नथेली आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालयों ने अपीलांट की ओर से अपीलें खारिज कर कानूनी त्रुटि की है। अन्त में हस्तगत अपील को स्वीकार कर रेस्पोडेंट के पक्ष में किये गये आवंटन को करने करने का आदेश पारित किया जावे। 5— इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या दो राजकीय अभिभाषक ने अपीलांट पक्ष की ओर से की गयी बहस का खण्डन किया और निवेदन किया कि दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय उचित व कानून सम्मत है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती निर्णय होने से हस्तगत अपील के माध्यम से अपीलाधीन निर्णयों में हस्तक्षेप नही किया जा सकता है। अन्त में अपील खारिज करने का निवेदन किया। 6— हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या एक नथोली को दिनांक 21—10—75 को विवादित आराजी खसरा नंबर 67/1 रकबा 5 बीघा का आवंटन किया गया है। आवंटन के वक्त ही आवंटन सलाहकार समिति द्वारार आवंटी को मौके पर दिनांक 21—10—75 को विवादित आराजी का कब्जा संभालाया गया है। इसके अलावा सं0 2052 से 55 के अनुसार आवंटी नथोली गैर खातेदार राजस्व रिकार्ड में अंकित है। ऐसीस्थिति में रेस्पोडेंट संख्या एक के पक्ष में जो आवंटन किया गया है वह आवंटन सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं को अपना कर ही किया है, जिसमे ंकिसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं है।ऐसी स्थिति में विद्वान दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय उचित व कानून सम्मत है, जिसमें हम हस्तगत अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस नही करते है।परिणामस्वप यह अपील खारिज किये जाने योग्य है। 7— उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में हस्तगत अपील खारिज की जाती है। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30—4—2003 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26—12—2001 की पुष्टि की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सूरज भान जैमन) सदस्य	

अपील/एल.आर./2521/2003/करौली
सुरज्ञान आदि बनाम नथेली आदि